संख्या-109/2016/1720/41-2016-313 सा0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2016

विषय- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव-2016 के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-936/15-1-838 (20)/ट्रै0ट्रे0/2016, दिनांक 28-09-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव-2016 के आयोजन हेतु धनराशि रू0 1.00 करोड (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत कार्य अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-109/2016/1720(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं जिलाधिकारी, वाराणसी।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।